

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक प.12(43)पपा/2014

जयपुर, दिनांक :- 12 AUG 2016


आज्ञा

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नांकित संयुक्त निदेशकों को उनके नाम के समक्ष अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त निदेशक (पी.बी.-3-15600-39100 ग्रेड पे 8200/-) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	डॉ० आर०पी० नायक	अ०जा०	2012-13	
2.	डॉ० एम० एल० परिहार	अ०जा०	2012-13	स्वै०सेवानिवृत्त दि.04.07.16
3.	डॉ० महेश चन्द कटारा	सामान्य	2012-13	
4.	डॉ० भवानी सिंह राठौड़	सामान्य	2012-13	
5.	डॉ० आलोक जुनेजा	सामान्य	2012-13	स्वै०सेवानिवृत्तदि.01.04.16
6.	डॉ० एन०एम० सिंह	सामान्य	2012-13	
7.	डॉ० प्रदीप सारस्वत	सामान्य	2012-13	
8.	डॉ० आनन्द सेजरा	सामान्य	2012-13	
9.	डॉ० गोविन्द राम चौहान	सामान्य	2012-13	
10.	डॉ० लक्ष्मण लाल राठौर	अ०ज०जा०	2012-13	
11.	डॉ० शिव कुमार शर्मा	सामान्य	2013-14	


उपरोक्त चयन एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(एम० एल० गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव